Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

मई 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

20/05/2024 से 26/05/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय – फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वाँ संस्करण 2024	1 - 5
2.	भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्या और उसका समाधान	5 - 10
3.	भारतीय सेना को मिला AK-203 असॉल्ट राइफलों की पहली खेप	10 - 14
4.	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता का स्थगन	14 - 19
5.	भारत में बेरोजगारी बनाम भारत रोजगार रिपोर्ट 2024	19 - 23

करंट अफेयर्स
मई 2024

भारतीय – फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वाँ संस्करण 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के ‘ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ भारतीय – फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वाँ संस्करण, संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ वरुण ’, संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ गरुड़ ’ , राजपूत रेजिमेंट ’ खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ भारतीय – फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वाँ संस्करण 2024 ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का सातवां संस्करण 13 से 26 मई 2024 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित हो रहा है।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के सातवें संस्करण 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थिएरी माथौ, 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर शेकतकर, और अन्य नागरिक और सेना से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति की विशेषता यह है कि यह द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बारी-बारी से भारत और फ्रांस में आयोजित किया जाता है।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का छठा संस्करण 15-26 नवंबर 2021 तक फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस प्रकार, अगले अभ्यास की मेजबानी करने की बारी भारत की थी। अतः भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का सातवां संस्करण 13 से 26 मई 2024 तक भारत में आयोजित की जा रही है।
- इस बार के संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के पर्यवेक्षक भी शामिल हैं, और इसमें अर्ध – शहरी

और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और एक दूसरे को सहायता करने में सुविधा और आसानी होगी।

भारत – फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का मुख्य उद्देश्य :

- भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाले **शक्ति सैन्य अभ्यास** के सातवें संस्करण का मुख्य लक्ष्य युद्ध की परिस्थितियों में संयुक्त रणनीतिक योजना बनाने की दोनों सेनाओं की सामर्थ्य को बढ़ाना है।
- इस अभ्यास के द्वारा,दोनों देशों की सेनाएँ आपसी सहयोग, समझ और अंतर-संचालनीयता को मजबूत करने का प्रयास करेंगी।
- इस अभ्यास में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व **राजपूत रेजिमेंट** की एक बटालियन कर रही है, जबकि भारतीय नौसेना और वायुसेना ने पर्यवेक्षकों के रूप में अपने कर्मियों को भेजा है।
- फ्रांस की ओर से, 90 सदस्यीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः **13वीं फॉरेन लीजन हाफ-ब्रिगेड (13वीं डीबीएलई)** के सैनिक कर रहे हैं।
- सातवें संस्करण में विशेष रूप से दोनों सेनाओं के संचालन पर समझ विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वे एक-दूसरे की परिचालन प्रक्रियाओं के साथ साझा ज्ञान, जागरूकता और परिचितता का निर्माण कर सकें।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और आतंकवादी अभियानों का मुकाबला करने में अपने व्यापक युद्ध अनुभव को साझा करने का अवसर मिलेगा।

भारतीय और फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास की ऐतिहासिकता एवं परिचय :

- भारतीय और फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति श्रृंखला के अलावा, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आपसी नौसेना अभ्यास वरुण और वायु सेना का आपस में अभ्यास गरुड़ का भी आयोजन किया जाता है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य तैयारी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ वरुण ’ :

- यह भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

- इसे वैकल्पिक रूप से **हिंद महासागर** या **भूमध्य सागर** में आयोजित किया जाता है।
- यदि भारत इस अभ्यास की मेजबानी करता है, तो यह **हिंद महासागर** में आयोजित किया जाता है, और यदि फ्रांसीसी नौसेना इसकी मेजबानी करती है, तो यह **भूमध्य सागर** में आयोजित किया जाता है।
- **वरुण अभ्यास** का पहला आयोजन **1983** में हुआ था, लेकिन इस नाम का पहला उपयोग **2001** में किया गया था।
- **वरुण का 21वां संस्करण 2023** में **अरब सागर** में आयोजित किया गया था।

भारतीय और फ्रांसीसी वायु सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ गरुड़ ’ :

- यह भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु सेना के बीच एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास है।
- इसकी शुरुआत **2003** में हुई थी और इसे वैकल्पिक रूप से भारत और फ्रांस में आयोजित किया जाता है।
- यह आम तौर पर **दो साल** के बाद आयोजित किया जाता है।
- ***7वां गरुड़ अभ्यास*** वर्ष **2022** में **राजस्थान** के **जोधपुर** में आयोजित किया गया था।

भारत और फ्रांस के बीच सैन्य संबंध :

- फ्रांस भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी बनाए हुए है, जो रूस के बाद भारत को सैन्य उपकरण और हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता देश है।
- फ्रांस वह एकमात्र पश्चिमी देश है जिसने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों के साझाकरण और भारतीय धरती पर फ्रांसीसी सैन्य उपकरणों के निर्माण पर सहमति जताई है।
- वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन ने आपस में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्मों के डिजाइन, विकास, परीक्षण और निर्माण में आपस में सहयोग करने के लिए एक साझा लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की है, जिससे भारत रक्षा प्रौद्योगिकियों के निर्माण में और सैन्य क्षेत्र में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के बल पर एक आत्मनिर्भर देश बन सके।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और फ्रांस की सफरान हेलीकॉप्टर इंजन SAS ने मिलकर सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइ-वेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है। जो हेलीकॉप्टर इंजनों के सामूहिक डिजाइन, विकास, प्रमाणन, उत्पादन, बिक्री और समर्थन का कार्य करेगा।
- फ्रांस ने भारतीय सेना को राफेल लड़ाकू विमान प्रदान किए हैं और भारतीय नौसेना ने फ्रांस से अतिरिक्त 26 राफेल विमानों की खरीद की योजना बनाई है।
- भारतीय और फ्रांस के बीच होने वाले संयक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उप-पारंपरिक परिदृश्यों में बहु-क्षेत्रीय ऑपरेशनों के लिए दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है।, जिसके तहत अर्द्ध-शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में संचालन पर विशेष ध्यान

दिया जाता है।

- भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त सामरिक अभ्यास में आतंकवादी कार्रवाइयों का मुकाबला, संयुक्त कमांड पोस्ट और खुफिया तथा निगरानी केंद्रों की स्थापना, और किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में तत्परता व आपसी सहयोग और समन्वय पर जोर दिया जाता है।
- फ्रांस और भारत के बीच अन्य संयुक्त अभ्यासों में 'वरुण', 'गरुड़' और 'डेजर्ट नाइट' शामिल हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह :

- भारत-फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास **'शक्ति'** के 7वें संस्करण का समापन हाल ही में हुआ, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने उमरोई, मेघालय में अपनी संयुक्त सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
- इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय VII के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य में विविध क्षेत्र संचालनों के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना था।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में अर्ध-शहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालनों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- भारतीय और फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान, दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवादी अभियानों का मुकाबला करने, संयुक्त कमांड पोस्ट स्थापित करने, खुफिया और निगरानी केंद्रों की स्थापना,हेलीपैड/लैंडिंग साइट की सुरक्षा, छोटे दल की प्रविष्टि और निष्कर्षण, विशेष हेलिबॉर्न ऑपरेशन, घेरा और तलाशी अभियान, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के उपयोग जैसी विभिन्न सामरिक ड्रिल्स का अभ्यास किया।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर मिला है।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और सौजन्यता को और बढ़ावा देने की उम्मीद है।
- भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए गए इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से न केवल भारत और फ्रांस के बीच आपस में रक्षा सहयोग का स्तर बढ़ेगा बल्कि इन दोनों ही देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

स्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह शक्ति का सातवां संस्करण है, जो भारत के मेघालय के उमरोई में 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित हो रहा है।
2. इस अभ्यास का नेतृत्व भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है ।
3. वरुण भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु सेना के बीच एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास है।
4. वरुण को फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर में तथा भारत द्वारा भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1, 2 और 3

D. केवल 1 और 2

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय – फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि बदलते भू – मंडलीय राजनीति के संदर्भ में भारत और फ्रांस के बीच के सामरिक संबंधो में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या है एवं उसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्या और उसका समाधान

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ‘ और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के ‘ पर्यावरण और जैव विविधता , पर्यावरण प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दे ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लैंडफिल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ’ खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्या और उसका समाधान ’ से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में,भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए अपनाए जा रहे अपर्याप्त उपायों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 11,000 टन ठोस कचरे में से लगभग 3,800 टन का उचित निपटान नहीं किया जाता है। इस अनुपचारित अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा लैंडफिल में जमा हो रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसे राजनीतिक संघर्षों से दूर रखते हुए तत्काल समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), और दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया है और इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
- वर्त्तमान समय में इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे व्यापक रूप से संबोधित करने का निर्णय लिया है और जल्द ही इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई होने वाली है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई इस प्रकार की चिंताएँ और आलोचनाएँ यह बताता हैं कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका समाधान न केवल तकनीकी बल्कि प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर भी होना आवश्यक है।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्याएं :

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं –

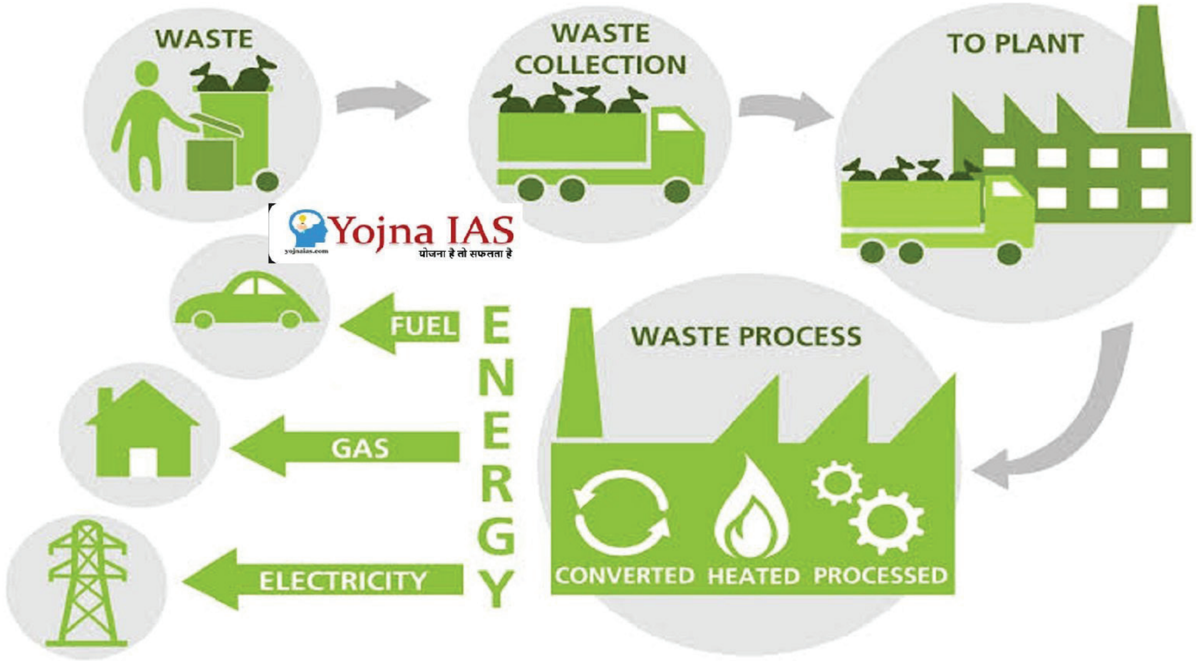

1. **नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन :** अधिकांश महानगरों में कूड़ेदानों की स्थिति खराब है, जो या तो पुराने हैं, क्षतिग्रस्त हैं या फिर ठोस अपशिष्ट के लिए अपर्याप्त हैं।
2. **स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण की कमी :** इसके कारण असंसाधित मिश्रित अपशिष्ट लैंडफिल में जा रहा है, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन है।
3. **अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं का अभाव :** कुछ क्षेत्रों में नियमित अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं नहीं हैं, जिससे कूड़ा-कचरा फैल जाता है।
4. **डंपिंग साइट्स की समस्या :** भूमि की कमी के कारण महानगरों में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को समस्या होती है, जिससे अपशिष्ट अनुपचारित रह जाता है।
5. **डेटा संग्रहण तंत्र का अभाव :** भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी ऐतिहासिक डेटा की कमी के कारण, निजी कंपनियां अपशिष्ट

प्रबंधन परियोजनाओं की संभावित लागत और लाभों का सही ढंग से आकलन नहीं कर पातीं है।

6. **औपचारिक और अनौपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली :** निम्न आय वाले समुदायों में अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं की कमी होती है, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है।
7. **जन – जागरूकता का अभाव :** सामान्यतः जन जागरूकता की कमी और उचित अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों का अभाव अनुचित निपटान प्रथाओं में वृद्धि करता है।
8. इन समस्याओं के समाधान के लिए नीतियों का सख्ती से पालन, जनजागरूकता बढ़ाने, और अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है।
9. इसके अलावा, अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति :

- भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या है और यह वैश्विक नगरपालिका अपशिष्ट का 12% हिस्सा उत्पन्न करता है। इसमें सड़कों की सफाई, सतही नालियों से निकाली गई गाद, बागवानी का कचरा, कृषि और डेयरी का अपशिष्ट, उपचारित बायोमेडि-कल अपशिष्ट (औद्योगिक, जैव-चिकित्सा और ई-कचरे को छोड़कर), बैटरी और रेडियोधर्मी कचरा शामिल है।
- द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत प्रति वर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करता है। इसमें से लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्रित किया जाता है, जिसमें से केवल 12 मिलियन टन का ही सही तरीके से निपटान होता है और बाकी 31 मिलियन टन को लैंडफिल साइट्स पर डाल दिया जाता है।
- उपभोग के बदलते पैटर्न और तेजी से आर्थिक विकास के साथ, अनुमान है कि 2030 तक शहरी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़कर 165 मिलियन टन हो जाएगी।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की मुख्य विशेषताएं :

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जिन्होंने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2000 का स्थान लिया है। वह कचरे के प्रबंधन के लिए नए ढांचे और दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के मुख्य स्रोत के स्तर पर ही उसके पृथक्करण, स्वच्छता और पैकेजिंग के साथ-साथ निपटान के लिए निर्माता और थोक उत्पादकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है, ताकि उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से संग्रह, निपटान और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जा सके।

1. **अपशिष्ट विभाजन :** अपशिष्ट उत्पादकों को अपशिष्ट को तीन श्रेणियों – गीला (जैव निम्नीकरण), सूखा (प्लास्टिक, कागज,

धातु, लकड़ी आदि), और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (डायपर, नैपकिन, सफाई एजेंटों के खाली कंटेनर, मच्छर प्रतिरोधी आदि) में विभाजित करने की जिम्मेदारी है।

2. **अपशिष्ट संग्रह :** पृथक किए गए अपशिष्ट को अधिकृत अपशिष्ट एकत्रित करने वालों, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या स्थानीय निकायों को सौंपना चाहिए।

3. **शुल्क और जुर्माना :** अपशिष्ट उत्पादकों को अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के लिए 'उपयोगकर्ता शुल्क' और अपशिष्ट फैलाने या पृथक न करने पर 'स्पॉट फाइन' का भुगतान करना होगा।

4. **जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन :** जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जहाँ संभव हो, परिसर के भीतर कंपोस्टिंग या बायो-मिथे-नेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित और निपटाया जाना चाहिए।

5. **निर्माता और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारियां :** टिन, काँच और प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे डिस्पोज़ेबल उत्पादों के निर्माताओं और ब्रांड मालिकों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में स्थानीय अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये नियम भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार और सतत ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है।

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख पहल :

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख पहल निम्नलिखित है –

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016 :** भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी इन नियमों के अनुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादकों को प्लास्टिक के कचरे के उत्पादन को सीमित करने, इसके प्रसार को नियंत्रित करने और स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग करके भंडारण करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता होती है। फरवरी 2022 में, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया गया।
- **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 :** भारत में इन नियमों का मुख्य उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से निकलने वाले जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन करना है।
- **अपशिष्ट से धन पोर्टल :** भारत में इस पोर्टल का लक्ष्य अपशिष्ट के उपचार के लिए नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है, जिससे ऊर्जा उत्पादन, सामग्री का पुनर्चक्रण, और मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण संभव हो सके।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग :** भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी यह पहल नगरपालिका और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को विद्युत या ताप में परिवर्तित करने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग करती है।
- **प्रोजेक्ट रीप्लान :** भारत में इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को कपास फाइबर के कपड़ों के साथ

20:80 के अनुपात में मिलाकर कैरी बैग बनाना है।

समाधान / आगे की राह :

1. **अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करना :** भारत में नगरपालिकाएं भविष्य में देश में होने वाली जनसंख्या वृद्धि के अनुसार शहरी योजना बनाते समय बायोडिग्रेडेबल कचरे से खाद और बायोगैस उत्पादन को प्राथमिकता दें। इसके लिए, हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए, उन्हें उपयुक्त स्थानों की पहचान करनी चाहिए और वहां पर अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करनी चाहिए।

2. **अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करना :** भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रिफ्यूज-व्युत्पन्न ईंधन (RDF) जैसे गैर-पुनर्चक्रण योग्य सूखे कचरे का उच्च ऊष्मीय मूल्य होता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं में किया जा सकता है।
3. **विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण को बढ़ावा देना :** दिल्ली जैसे महानगरीय क्षेत्रों में खाद सुविधाएँ स्थापित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग आवश्यक है। इससे जैविक खाद के बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा।
4. **माइक्रो-कम्पोस्टिंग केंद्र (MCC) और सूखा कचरा संग्रह केंद्र (DWCC) की स्थापना करना :** भारत के अन्य राज्यों में भी, तमिलनाडु और केरल की तर्ज पर, प्रत्येक वार्ड में 5 TPD क्षमता वाले MCC और बंगलूरू से प्रेरित 2 TPD क्षमता वाले DWCC स्थापित किए जा सकते हैं।
5. **एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना :** भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ – साथ विकेंद्रीकृत विकल्पों का संयोजन करके सभी प्रकार के कचरे का उपचार सुनिश्चित करना चाहिए।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC – 2019)

1. भारत वैश्विक नगरपालिका अपशिष्ट का 12% हिस्सा उत्पन्न करता है।
2. प्रोजेक्ट रीप्लान के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट को कपास फाइबर के कपड़ों के साथ 20 : 80 के अनुपात में मिलाकर कैरी बैग बनाना है।
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 कचरे के प्रबंधन के लिए नया ढ़ांचा और गाइडलाइन जारी करता है।
4. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2 , 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्या क्या है और उसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारतीय सेना को मिला AK-203 असॉल्ट राइफलों की पहली खेप

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव ’ और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के ‘ नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकी, फॉक्सट्रॉट क्लास पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ AK-203 असॉल्ट राइफल, ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल, सुखोई Su-30MKI, KA-226T ट्विन-इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, INS विक्रमादित्य ’ खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ भारतीय सेना को मिला AK-203 राइफलों की पहली खेप ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में रूस ने भारतीय सेना को 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलों की पहली खेप सौंपी है।
- यह सन 2021 के जुलाई महीने में भारत और रूस द्वारा हस्ताक्षरित उस एक अनुबंध के तहत किया गया है, जिसके अनुसार रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाना है।
- AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण के उद्देश्य से वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के कोरवा में इंडो – रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) की स्थापना की गई थी।

- इसकी स्थापना भारत के तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड [वर्तमान में एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL) और म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL)] और रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट (RoE) तथा कलाश्निकोव कंपनी के बीच की गई थी।

मेक इन इंडिया के तहत भारत का रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य :

- भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित इस परियोजना के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें केवल 2 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े उपकरणों और रक्षा आयुधों या रक्षा सामग्रियों की 70% घरेलू उत्पादन अर्थात भारत में ही निर्माण करने के लक्ष्य तक पहुँचना है।
- वर्तमान में राइफल के लगभग 25% पुर्जे स्थानीय स्तर पर अर्थात भारत में ही निर्मित होते हैं।
- भारत के रक्षा विशेषज्ञों का एक अनुमान है कि दो से तीन वर्षों में मेक इन इंडिया योजना के तहत 100% स्थानीयकरण अर्थात भारत में ही निर्माण होने के साथ बड़े पैमाने पर राइफलों का उत्पादन किया जाएगा।
- वर्तमान में भारतीय सेना INSAS (इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम) राइफलों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रही है और इसके साथ – ही साथ अब वह नवीनतम और अधिक उन्नत हथियारों को बनाने का प्रयास कर रही है।
- भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल्स के निर्माण का समझौता रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह राइफल भारतीय आयुध निर्माणी बोर्ड, कलाश्निकोव कंसर्न, और रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के बीच संयुक्त अनुबंध के तहत निर्मित की जा रही है।
- इसका निर्माण अमेठी, उत्तर प्रदेश के एक कारखाने में हो रहा है।
- यह समझौता दिसंबर 2021 में हुई थी, जिसमें भारत और रूस ने 6,01,427 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए समझौता किया था।
- इसका मूल्य 5,124 करोड़ रुपए था।
- रक्षा के क्षेत्र में यह समझौता भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधी सबसे बड़ी समझौतों में से एक है। इसमें प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण का प्रावधान है और इन राइफल्स को मित्र देशों में भी निर्यात किया जाएगा। इन राइफल्स का निर्माण 100% स्वदेशी कलपुर्जों के साथ 128 महीनों की अवधि में किया जाएगा।

AK-203 राइफल का परिचय :

- **AK-203 असॉल्ट राइफल** को **AK-47** के नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण के रूप में जाना जाता है। यह **AK-100 श्रेणी** की राइफल है जो **7.62×39 मिमी** कैलिबर में आती है और यह **AK-74M** की तरह विभिन्न कारतूस और लंबाई विकल्प प्रदान करती है।
- यह राइफल **भारतीय लघु हथियार प्रणाली (INSAS) 5.56×45 मिमी** असॉल्ट राइफल की जगह लेगी, जिसका इस्तेमाल वर्तमान में भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है।
- INSAS राइफल्स को ऊंचाई पर उपयोग के लिए अनुपयुक्त माना गया है और इनमें गन जैमिंग, तेल रिसाव जैसी कई तकनीकी समस्याएं हैं।

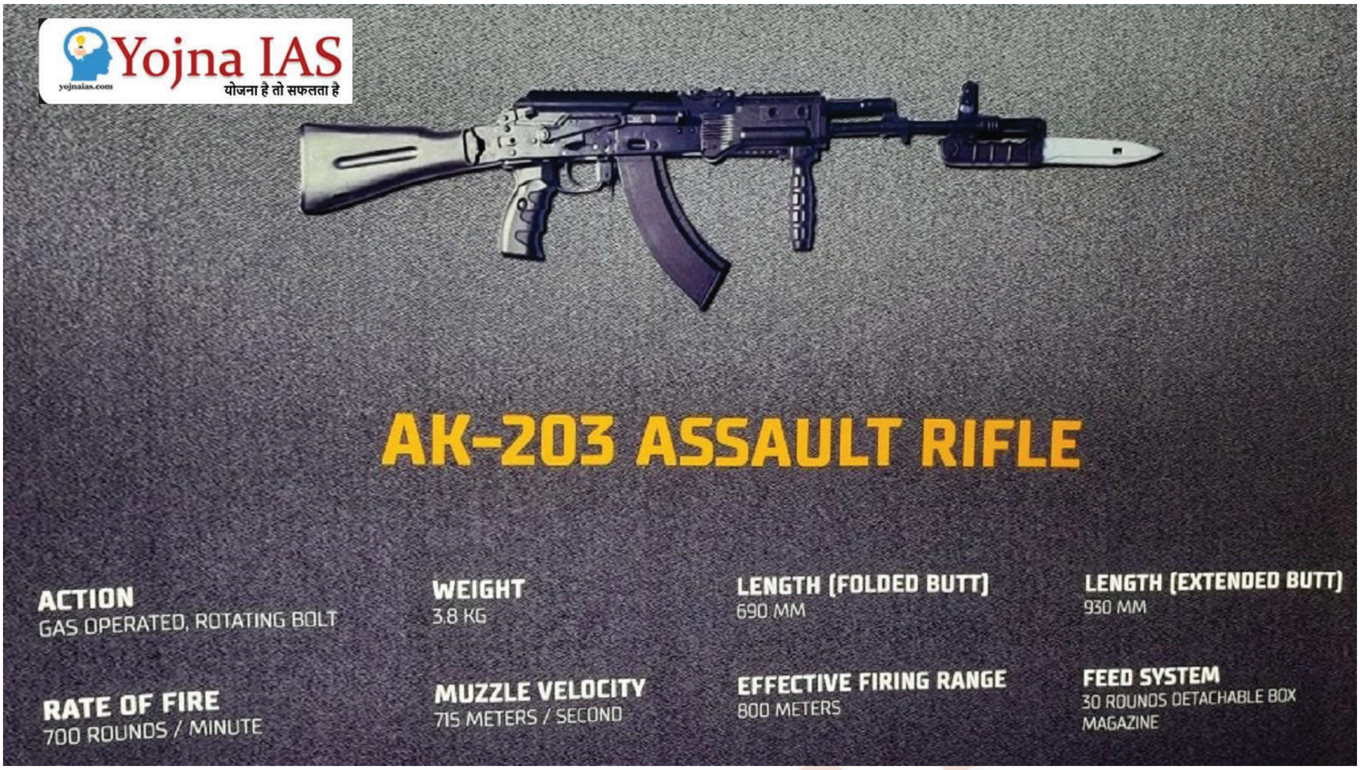

भारत और रूस के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध :

- भारत और रूस के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों के विकास की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रूप से जुदा हुआ है, जिसमें दोनों देश उच्च-स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और उत्पादन में सहयोग करते हैं।
- इस सहयोग का उद्देश्य न केवल उन्नत सैन्य सामग्री की खरीद है, बल्कि इसमें तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान और संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।

भारत और रूस के बीच सैन्य-तकनीकी सहयोग की प्रमुख विशेषताएं:

- **ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल :** भारत और रूस ने साझे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का विकास किया है। यह मिसाइल अत्यधिक गति से युद्ध क्षेत्र में उपयोग हो सकता है।
- **5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट :** भविष्य के युद्धक विमानों के लिए एक संयुक्त प्रयास। इसका उद्देश्य न केवल युद्धक्षेत्र में बल्कि विमानों की तकनीकी उन्नति में भी सहायक होना है।
- **सुखोई Su-30MKI :** यह उन्नत लड़ाकू जेट भारत में भी उत्पादित होता है और भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है।
- **इल्यूशिन/एचएएल सामरिक परिवहन विमान :** यह भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन विमान है , जो रूस के सहयोग से निर्मित हुआ है।
- **KA-226T ट्विन-इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर :** यह भारतीय सेना और वायुसेना के लिए एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है।

इसके अलावा, भारत ने रूस से विभिन्न सैन्य हार्डवेयर खरीदे या पट्टे पर लिए हैं, जैसे कि:

- **एस-400 ट्रायम्फ :** यह एक उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है।
- **कामोव Ka-226 :** 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत में निर्मित होने वाला हेलीकॉप्टर है।
- **टी-90एस भीष्म :** एक मुख्य युद्धक टैंक है।
- **INS विक्रमादित्य** : भारतीय नौसेना के लिए एक विमान वाहक पोत है , जो रूस द्वारा प्राप्त किया गया है।

रूस ने भारतीय नौसेना के पनडुब्बी कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो निम्नलिखित है –

- **फॉक्सट्रॉट क्लास पनडुब्बी :** यह भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी है, जिसमें रूस ने भी अपनी तकनीक के माध्यम से इसमें

मदद किया है।

- **परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम :** भारत अपने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए रूस पर निर्भर है।
- इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत-रूस संबंध न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी मजबूत होते जा रहे हैं। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए आपसी लाभ और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत – रूस रक्षा संबंध में आगे की राह :

- भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों का भविष्य न केवल दोनों राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं के लिए अहम है, बल्कि यह वैश्विक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी एक जरूरी पहल है।
- रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग से दोनों देशों को नवीन और उन्नत रक्षा तकनीकों का विकास करने में मदद मिलती है, जो आगे चलकर विश्व स्तर पर सुरक्षा के मानकों को बढ़ावा देती है।
- भारत-रूस के बीच रक्षा संबंध दोनों देशों की सुरक्षा नीतियों के मूल में ही हैं और इसका विस्तार वैश्विक शांति और स्थायित्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अतः रक्षा और आपसी सुरक्षा के क्षेत्र में यह साझेदारी नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक है, जो विश्व स्तर पर सुरक्षा मानकों को उन्नत करने में योगदान देती है।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. AK-203 असॉल्ट राइफल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह AK-47 का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है।
2. यह AK-100 श्रेणी की राइफल है जो 7.62×39 मिमी कैलिबर में आती है।
3. इसका उपयोग भारतीय लघु हथियार प्रणाली (INSAS) 5.56×45 मिमी असॉल्ट राइफल के स्थान पर होगा।
4. इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक कारखाने में हुआ है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 3 और 4

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. AK-203 असॉल्ट राइफल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत और रूस के बीच का रक्षा संबंध किस प्रकार वैश्विक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता का स्थगन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय संगठन ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ पेरिस सिद्धांत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य और शक्तियां, GANHRI ’ खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईए-एस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता का स्थगन ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को एक दशक के भीतर दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है।
- भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को रद्द करने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियों में देरी और राजनीतिक रूप से प्रभावित होने के कारण और भारत में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित जांच में कानून प्रवर्तन को शामिल करने और नागरिक समाज के साथ अपर्याप्त सहयोग जैसे मुद्दों के संबंध में उठाई गई चिंताओं से उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को स्थगित करने का मुख्य कारण :

- **सीमित प्रतिनिधित्व और समावेशिता :** राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कर्मचारियों और उसके नेतृत्व के भीतर विविधता की कमी की पहचान की है। उनका तर्क यह है कि यह

एकरूपता भारत के सभी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और संबोधित करने की आयोग की क्षमता में बाधा डालती है।

- **कमजोर समूहों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा :** राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) ने हाशिए पर रहने वाले लोगों को निशाना बनाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों पर NHRC की समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक और मानवाधिकार के रक्षा से संबंधित प्रतिक्रिया के बारे में चिंता व्यक्त की है। इन समूहों या समुदायों को अक्सर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें भारत के कानून के अनुरूप सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- **जांच में हितों का टकराव :** ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) ने पुलिस द्वारा कथित मानवाधिकारों के हनन की जांच में पुलिस को शामिल करने की NHRC की प्रथा को हरी झंडी दिखाई है। इससे हितों का टकराव पैदा होता है, जिससे ऐसी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
- **सिविल सोसायटी के साथ प्रतिबंधित सहयोग :** ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) को लगता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करने वाले नागरिक समाज या संगठनों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग नहीं करता है। नागरिक समाज समूह अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने और सुधार की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संगठनों के साथ सहयोग को सीमित करके,राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के आम नागरिकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और अवसरों को खो सकता है।

पेरिस सिद्धांत और ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) द्वारा 'A' की स्थिति प्राप्त करना :

1. 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित पेरिस सिद्धांत, उन आवश्यक मानदंडों को निर्धारित करते हैं जिन्हें विश्वसनीय और प्रभावशाली माने जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, को पूरा करना होगा।
2. 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित पेरिस सिद्धांत, छह प्राथमिक मानदंडों को रेखांकित करते हैं जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरआई) को मानवाधिकारों के वैध और प्रभावी संरक्षक माने जाने के लिए पूरा करना होगा।
3. **अधिदेश और योग्यता :** भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास एक स्पष्ट और व्यापक अधिदेश होना चाहिए जो उन्हें मानवाधिकारों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सशक्त बनाए। इस अधिदेश में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।
4. **सरकार से स्वायत्तता :** मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने में निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सरकार और अन्य राज्य अभिनेताओं से स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। इस स्वायत्तता में वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अनुचित सरकारी प्रभाव से मुक्ति शामिल है।
5. **कानून द्वारा स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित करना :** भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता को कानूनी या संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से कानूनी रूप से गारंटी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके और उनकी क्षमता सुनिश्चित की जा सके। पूरा प्रतिशोध के डर के बिना उनका जनादेश।
6. **बहुलतावाद को बढ़ावा देना :** भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिए और इसमें नागरिक समाज, शिक्षा और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होने चाहिए। यह विविधता समावेशिता को बढ़ावा देती है और संस्थान की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाती है।
7. **पर्याप्त संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित किया जाना :** भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए वित्तीय, मानव और तकनीकी संसाधनों सहित पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के दौरान अपर्याप्त संसाधन मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने, पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और प्रणालीगत सुधारों की वकालत करने की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं।
8. **निष्पक्ष और संपूर्ण जांच करने का अधिकार होना :** भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष और संपूर्ण जांच करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें गवाहों को सम्मन जारी करने, मामले से संबंधित प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों तक पहुंचने तथा मानवाधिकारों से संबंधित उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए और उसका उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सिफारिशें करने की शक्ति शामिल है।
9. एनएचआरआई से व्यापक अधिदेश, सरकारी प्रभाव से स्वायत्तता, कानूनी रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता, बहुलवादी प्रतिनिधित्व, पर्याप्त संसाधन और जांच प्राधिकरण सहित आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती है।

10. ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) इन सिद्धांतों के आधार पर NHRI का मूल्यांकन करता है। **उन्हें 'A' की स्थिति (पूरी तरह से अनुपालन), 'B' की स्थिति (आंशिक रूप से अनुपालन), या स्थिति की कमी के रूप में वर्गीकृत करता है।**

11. 'A' स्थिति पेरिस सिद्धांतों के साथ पूर्ण संरेखण को इंगित करती है और NHRI को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के भीतर विशिष्ट विशेषाधिकार प्रदान करती है।

12. 'A' स्थिति रखने वाले NHRI को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बोलने का अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों में भागीदारी और ENNHRI और GANHRI जैसे NHRI नेटवर्क में नेतृत्व की भूमिका प्राप्त होती हैं। यह दर्जा उन्हें मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से योगदान करने का अधिकार देता है।

13. 'A' स्थिति प्राप्त करना मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित रखने में एनएचआरआई की विश्वसनीयता, स्वायत्तता और प्रभावशीलता की एक प्रतिष्ठित स्वीकृति है, जैसा कि पेरिस सिद्धांतों में व्यक्त किया गया है।

ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) :

- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त से जुड़ा एक संगठन है।
- वैश्विक नेटवर्क के रूप में कार्य करते हुए, यह मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (NHRI) को एक साथ लाता है।
- ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) के दुनिया भर में 120 NHRI सदस्य हैं। इसका मुख्य मिशन NHRI को एकजुट करना, उनकी वकालत करना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि वे संयुक्त राष्ट्र पेरिस सिद्धांतों के साथ संरेखित हो सकें, जो NHRI के प्रभावी कामकाज के लिए मौलिक मानकों के रूप में काम करते हैं।
- सन 1993 में स्थापित, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) दुनिया भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (NHRI) के बीच सहयोग, क्षमता निर्माण और वकालत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) का प्राथमिक उद्देश्य अपने-अपने देशों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अपने जनादेश को पूरा करने में NHRI की क्षमता और प्रभावशीलता को मजबूत करना है।
- यह एनएचआरआई को सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, अनुभव साझा करने और मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) की प्रमुख भूमिकाओं में से एक पेरिस सिद्धांतों के पालन के आधार पर NHRI को मान्यता देना है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों का एक सेट है जो बुनियादी मानदंडों को रेखांकित करता है जिन्हें

NHRI को विश्वसनीय और प्रभावी माने जाने के लिए पूरा करना चाहिए।

- ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) द्वारा मान्यता इन सिद्धांतों के साथ NHRI के अनुपालन की मान्यता को दर्शाती है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव के लिए विभिन्न विशेष अधिकारों और अवसरों तक पहुँच प्रदान करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना :

- भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए स्थापित, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जो भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है।
- यह आयोग भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की निगरानी और संरक्षण करता है।
- 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित इस संस्था को वर्ष 2006 में संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत और अधिक शक्तियां प्रदान की गयी।
- यह आयोग भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की निगरानी और संरक्षण करता है।
- इसकी संरचना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें 1991 में पेरिस में अपनाया गया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उसका कार्यकाल :

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके होते हैं।
- इसके अलावा, पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात डीम्ड सदस्य भी होते हैं।
- इनकी नियुक्ति एक छह सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- इनके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। अतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों पर इसमें से जो भी पहले हो वह लागू होता है।

भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख प्रभाग और कार्य :

भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मुख्य रूप से पांच प्रभाग होता है। जो निम्नलिखित है –

1. **कानूनी प्रभाग** – विधिक मामलों की देखरेख करता है।
2. **जांच प्रभाग** – मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है।

3. **नीति अनुसंधान और कार्यक्रम प्रभाग** – नीतियों का अनुसंधान और कार्यक्रमों का निर्माण करता है।

4. **प्रशिक्षण प्रभाग** – मानवाधिकार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

5. **प्रशासनिक प्रभाग** – आयोग के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है।

- ये प्रभाग आयोग के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं और यह आयोग भारत में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करता है और उनके संरक्षण के लिए सरकार को सिफारिशें पेश करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित चुनौतियाँ :

- **एक समर्पित जांच तंत्र का अभाव होना :** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास एक समर्पित जांच तंत्र का अभाव है, जिससे यह मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रहता है।
- **शिकायतों के लिए कोई समय सीमा का नहीं होना :** मानवाधिकार के उल्लंघनों से संबंधित किसी भी घटना के एक वर्ष के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दायर की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई शिकायतें अनसुलझी रह जाती हैं।
- **निर्णय लागू करने की शक्ति :** भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल सिफारिशें जारी कर सकता है और उसके पास अपने निर्णयों को लागू करने या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई अधिकार या शक्ति नहीं होता है।
- **धन का कम आवंटन प्राप्त होना :** भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कभी-कभी राजनीतिक संबद्धता वाले न्यायाधीशों और नौकरशाहों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद का मार्ग माना जाता है। सरकारों द्वारा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कम और अपर्याप्त धन का आवंटन इसकी प्रभावकारिता को और बाधित करता है।
- **शक्तियों की सीमाएँ :** राज्य मानवाधिकार आयोगों के पास राष्ट्रीय सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है, जिससे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की जांच में बाधा आती है। भारत में सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से सीमित है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पेरिस सिद्धांतों को 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।
2. GANHRI राष्ट्रों को उनके मानवाधिकारों को बनाए रखने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
3. 2023 के संकल्प में, GANHRI ने जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में अपने चार्टर में शामिल किया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही हैं?

A.केवल एक

B. सिर्फ दो

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. पुलिस द्वारा कथित मानवाधिकार हनन की जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संलिप्तता किस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में आपसी हितों में टकराव पैदा करती है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में बेरोजगारी बनाम भारत रोजगार रिपोर्ट 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के ‘ भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विकास, भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ बेरोजगारी, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ’ खंड से संबंधित है। इसमें योजना आई-एएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 बनाम भारत में बेरोजगारी ’ से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में 26 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO और मानव विकास संस्थान (IHD) ने संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे बेरोजगारों में से कुल 83% युवा बेरोजगार हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2000-2019 के दौरान दीर्घकालिक गिरावट के बाद हाल के वर्षों में भारत में समग्र श्रम बल भागीदारी, कार्यबल भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार हुआ है।
- वर्ष 2021 में भारत की कुल आबादी में से 27% युवा आबादी था, जो वर्ष 2036 तक घटकर 21% हो जाएगी और प्रति वर्ष 70

से 80 लाख और युवा आबादी कार्यबल में जुड़ जाएंगे।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में युवाओं का रोजगार (Youth Employment), वयस्कों के रोजगार (Adults Employment) की तुलना में काफी हद तक खराब गुणवत्ता वाला है।
- भारत में कमजोर व्यवसायों या अनौपचारिक क्षेत्रों में युवाओं के नियोजित होने की संभावना सबसे अधिक है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर स्नातक डिग्री वाले युवाओं में है और यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे अधिक है।
- वे महिलाएं जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं, का अनुपात उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक (48.4% बनाम 9.8%) है।

मानव विकास संस्थान का परिचय :

- मानव विकास संस्थान (IHD) की स्थापना वर्ष 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (ISLE) के तत्वावधान में की गई थी।
- इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना है जो एक समावेशी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा और महत्व देता है जो गरीबी और अभावों से मुक्त हो।
- यह श्रम और रोजगार, आजीविका, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास के अन्य पहलुओं के क्षेत्रों में अनुसंधान करता है।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के महत्वपूर्ण तथ्य :

- भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 श्रम और रोजगार मुद्दों पर मानव विकास संस्थान द्वारा नियमित प्रकाशनों की श्रृंखला में यह तीसरा संस्करण है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के साथ साझेदारी कर संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
- यह रिपोर्ट भारत में उभरते आर्थिक श्रम बाजार, शैक्षिक और कौशल परिदृश्यों और पिछले दो दशकों में देखे गए परिवर्तनों के संदर्भ में युवाओं से संबंधित रोजगार के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों की जांच करता है।
- यह रिपोर्ट भारतीय श्रम बाजार के हालिया रुझानों पर भी प्रकाश डालती है, जो युवा बेरोजगारों के संबंध में वर्तमान में मौजूद चुनौतियों और भविष्य में उत्पन्न नई चुनौतियों के साथ-साथ कुछ परिणामों में सुधार का संकेत देती है, जिनमें कोविड -19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियां भी शामिल हैं।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएं :

- भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 मुख्य रूप से वर्ष 2000 और वर्ष 2022 के बीच मौजूद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।

भारत में रोजगार का परिदृश्य और वर्तमान रुझान :

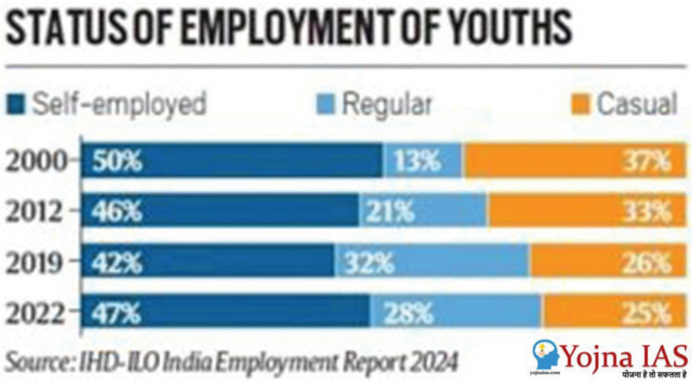

- भारत में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बाजार भागीदारी दर पहले के वर्षों में काफी गिरावट के बाद 2019 तक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ी है ।
- भारतीय श्रम बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों में कार्यबल का धीमा और स्थिर संक्रमण है।
- भारत में विद्यमान रोजगार के क्षेत्रों में से मुख्य रूप से स्व-रोज़गार औरआकस्मिक रोज़गार का उपलब्ध होना है।
- भारत में लगभग 90 प्रतिशत अनौपचारिक रूप से कार्यरत है जबकि लगभग 82 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है।
- वर्ष 2012-22 के दौरान आकस्मिक मजदूरों की मजदूरी में मामूली वृद्धि का रुझान बना रहा, जबकि नियमित श्रमिकों की वास्त-विक मजदूरी या तो स्थिर रही या उस्में गिरावट आई।
- भारत में प्रवासन के स्तर को आधिकारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया गया है।
- भविष्य में शहरीकरण और प्रवासन की दरों में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।
- 2030 में भारत में प्रवासन दर लगभग 40 प्रतिशत होने की उम्मीद है और शहरी आबादी लगभग 607 मिलियन होगी।

भारत में युवाओं के रोजगार से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

- भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कामकाजी उम्र का है, जो कम से कम एक और दशक तक संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश क्षेत्र में बने रहने की उम्मीद है।
- भारत में प्रत्येक वर्ष, लगभग 7-8 मिलियन युवा श्रम बल में जुड़ते हैं जिनके उत्पादक उपयोग से भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त हो सकता है।
- भारत में युवाओं की श्रम बाजार में भागीदारी वयस्कों की तुलना में बहुत कम रही है और दीर्घकालिक (2000-19) गिरावट की प्रवृत्ति पर थी, जिसका मुख्य कारण शिक्षा में अधिक भागीदारी थी।
- वर्तमान समय में भारत में युवा बेरोजगारी लगभग तीन गुना बढ़ गई है, जो वर्ष 2000 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 17.5 प्रतिशत हो गई थी, लेकिन वर्ष 2022 में यह घटकर 12.1 प्रतिशत हो गई है।

रोजगार क्षेत्र में सुधार के लिएभारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के प्रमुख सुझाव :

इस रिपोर्ट में भारत में बेरोजगारी से निपटने की कार्रवाई के लिए पांच प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात कही गई है। जो विशेष रूप से भारत में युवाओं की बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव है –

1. **रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।**
2. **रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करना।**
3. **श्रम बाज़ार की असमानताओं को संबोधित करना और इसमें नीतिगत स्तर पर बदलाव करना।**

4. कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना, और

5. श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार पर ज्ञान की कमी के अंतर को पाटना।

समाधान की राह :

- **‘ द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024’** भारत में रोजगार के क्षेत्र में एक निराशाजनक परिदृश्य प्रस्तुत करता है।
- भारत में युवा रोजगार की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित यह रिपोर्ट देश में व्यापक रूप से प्रचारित ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, जिससे निपटने के लिए त्वरित और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप और तकनीकी रूप से विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- भारत में बेहतर भुगतान वाली नौकरियों में शिक्षित युवाओं की भागीदारी के सापेक्ष नौकरियों की अनुप्लब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता में कमियों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षित युवा अभी भी नौकरी के मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ हैं। जिस पर भारत के नीति – निर्माताओं को ध्यान देने की अत्यंत जरूरत है।
- भारत में व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त करने में युवाओं के बड़े समूह का लाभ उठाने की अपेक्षा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से वंचित युवाओं की दर ऊंची है, और अधिकांश नियोजित युवाओं के बीच काम करने की स्थिति खराब है। भारत में मुद्रास्फीति के कारण मजदूरी या तो स्थिर हो गई है या उसमें गिरावट देखी गई है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था उच्च दर से बढ़ रही है।
- भारत में लोकसभा के आम चुनाव 2024 की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनेताओं ने रोजगार सृजन करने और तकनीकी रूप से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने को न केवल अपने चुनावी अभियानों में बल्कि उन्हें नीति निर्माण करने में भी बेरोजगारी के कारणों पर प्राथमिकता देते हुए विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 83% युवा बेरोजगार हैं।
2. मानव विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स द्वारा की गई थी।
3. यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है।
4. भारतीय श्रम बाजार में कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों में कार्यबल का धीमा और स्थिर संक्रमण होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3

(B). केवल 2, 3 और 4

(C) इनमें से कोई नहीं।

(D). इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करते हुए भारत में युवाओं के रोजगार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों और उसके समाधान की विस्तृत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

Yojna IAS
yojnaias.com